पत्र संख्या-आई0टी0/ जी0एस0टी0/(2017-2018)/ 234

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0-अनुभाग)

दिनॉक // लखनऊ // 16 मई, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

GST व्यवस्था का क्रियान्वयन प्रदेश में दिनांक 01.07.2017 से प्रस्तावित है। GST के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त विभागीय अधिकारियों का GST व्यवस्था में User-ID तथा Password GSTN द्वारा create किये जाने हैं। इस सम्बन्ध में GSTN द्वारा समस्त अधिकारियों का User Create करने हेतु data शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सन्दर्भ में कार्यालय ई-मेल दिनांक 11.12.2016, कार्यालय पत्रांक 1074 दिनॉक 02.02.2017 तथा कार्यालय पत्रांक 1434 दिनॉक 28.03.2017 द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि अपने स्तर से अधीनस्थ समस्त अधिकारियों का EIS Module में PAN, UID (Aadhar No.), GPF No. तथा PRAN (Permanent Retirement Account) की सूचना दिनांक 31.03.2017 तक प्रत्येक दशा में अंकित कराना सुनिश्चित करें ताकि User-ID तथा Password create कराने हेतु डाटा GSTN को प्रेषित किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों के whatsApp group पर उक्त सूचना का अंकन अधिकारियों से EIS Module में कराने का अनुरोध भी किया गया था। जिन अधिकारियों द्वारा उक्त सूचना EIS Module में अंकित नहीं की गई है उनको दिनांक 12.05.2017 को कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न वीडियों कांफैसिंग में उक्त सूचना EIS Module में तत्काल भरने के निर्देश दिए गये थे। आज दिनांक 17.05.2017 तक स्थिति निम्न प्रकार है:-

1- पैन अंकित नहीं करने वाले अधिकारियों की संख्या- 173

2- आधार नम्बर अंकित नहीं करने वाले अधिकारियों की संख्या- 272

3- जी0पी0एफ0 नम्बर/PRAN अंकित नहीं करने वाले अधिकारियों की संख्या- 481

3- उक्त प्रकरण में मुख्यालय द्वारा निर्गत किये गये पत्रों पर समुचित कार्यवाही न करते हुए उक्त अधिकारियों द्वारा EIS Module में सूचना अंकित नहीं की गयी है। **यह स्थिति नितान्त खेदजनक है एवं अधिकारियों की उदासीनता व अकर्मण्यता का भी परिचायक है।** उक्त प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर दिनॉक 20.05.2017 तक प्रत्येक दशा में कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिन अधिकारियों द्वारा दिनॉक 20.05.2017 तक उक्त कार्यवाही पूर्ण नही की जाती है उनके सम्बन्ध में जोनल एडीशनल कमिश्नर व आहरण एवं वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी की ऐसे अधिकारियों का वेतन आहरण न किया जाये। आहरण एवं वितरण अधिकारी माह मई 2017 का वेतन सभी ऐसे अधिकारियों से यह प्रमण पत्र लेकर वेतन आहरित करना सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा EIS Module पर सूचना पूर्ण कर दी गयी है। जोनल एडीशनल कमिश्नर दिनांक 25.05.2017 तक मुख्यालय इस आशय का प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे कि जोन में समस्त अधिकारियों द्वारा EIS Module पर सूचना पूर्ण कर दी गयी है। कमिश्नर महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि दिनांक 25.05.2017 तक प्रमाण पत्र न भेजने पर जोनल एडीशनल कमिश्नर का वेतन भी रोक दिया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। यह पत्र कमिश्नर महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर(जी0एस0टी0/आई0टी0)

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

__प्रतिलिपि__ :- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी को अनुपालनार्थ ।

एडीशनल कमिश्नर(जी0एस0टी0/आई0टी0)

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।